

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(8)वित्त/कर/2020

जयपुर, दिनांक:- 05.06.2020

आदेश


इस विभाग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 13.04.2020 द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के उपायुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) जारी की जाकर दिनांक 11.05.2020 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी जिन्हे समसंख्यक संशोधित नोटिस दिनांक 07.05.2020 जारी कर आपत्तियां दिनांक 22.05.2020 तक आमंत्रित की गई। निर्धारित दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के उपायुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची (Final Seniority List) निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	वर्ग	आवंटित वर्ष	विशेष विवरण
1.	अनीता माथुर	01.01.65		2015-2016	से.नि. 31.12.24
2.	शिवदयाल मीणा	30.12.63	अ0ज0जा0	2016-2017	से.नि. 31.12.23
3.	चन्द्रप्रकाश मीणा	20.01.66	अ0ज0जा0	2016-2017	से.नि. 31.01.26
4.	अंजनी कुमार शर्मा	10.08.66		2016-2017	से.नि. 31.08.26
5.	दिनेशचन्द गुप्ता	14.03.63		2016-2017	से.नि. 31.03.23
6.	शिवकुमार शर्मा	11.09.63		2016-2017	से.नि. 30.09.23
7.	किसनाराम	01.07.68		2016-2017	से.नि. 30.06.28
8.	रजनीकांत पण्ड्या	16.07.65		2016-2017	से.नि. 31.07.25
9.	आदर्श लोहिया	01.07.66	अ0जा0	2017-2018	से.नि. 30.06.26
10.	अमिताभ भार्गव	01.07.62		2017-2018	से.नि. 30.06.22
11.	रामनिवास शर्मा	01.07.66		2017-2018	से.नि. 30.06.26
12.	सुधीर शर्मा	05.03.64		2017-2018	से.नि. 31.03.24
13.	महेशकुमार गोवला	06.07.65		2017-2018	से.नि. 31.07.25
14.	अरविन्द मिश्रा	11.10.61		2017-2018	से.नि. 31.10.21
15.	राजेन्द्र सिंह	10.04.66		2017-2018	से.नि. 30.04.26
16.	रामलाल चौधरी	01.03.64		2017-2018	से.नि. 29.02.24
17.	हरिसिंह चारण	10.12.61		2017-2018	से.नि. 31.12.21
18.	रामेश्वर प्रसाद बैरवा	11.07.68	अ0जा0	2017-2018	से.नि. 31.07.28

उक्त वरिष्ठता मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी. रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी .....
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव